

**उपभोक्ता मामले विभाग
विधिक माप विज्ञान प्रभाग
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**

प्रश्न संख्या 1: क्या विधिक माप विज्ञान (पैक बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अधीन आवश्यक घोषणाओं को केवल जूते के डिब्बे पर घोषित करना पर्याप्त है, या जूते पर भी घोषित करने की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि नियमों के तहत आवश्यक सभी घोषणाएं जूते के डिब्बे पर या उस पर चिपकाए गए/दिखाई देने वाले लेबल पर स्पष्ट रूप से दी गई हैं, तो इसे जूते पर अलग से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह डिब्बे में बेचा जा रहा है।

प्रश्न सं 2: क्या बिना डिब्बे के बेचे जाने वाले जूतों के लिए भी घोषणा की आवश्यकता है?

उत्तर: डिब्बे के अभाव में, उपभोक्ताओं के हित में घोषणाएं जूते पर टैग या स्टिकर या अन्य तरीकों का उपयोग करके की जा सकती है।

प्रश्न सं 3: लीगल मेट्रोलाजी (पैक बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करने के लिए क्या ₹ का प्रतीक अनिवार्य है या "रु" शब्द की भी अनुमति है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैक बंद वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा या तो "₹" प्रतीक के साथ या "रु." शब्दों के साथ की जा सकती है।

प्रश्न सं 4: क्या लीगल मेट्रोलाजी एक्ट, 2009 की धारा 22 फीलर गेज पर लागू होती है।

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित वजन और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन वजन और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'फीलर गेज' वर्तमान में कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

प्रश्न सं 5: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 "इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर्स, मिनी वर्नियर गेज, डायल डेप्थ गेज, डिजिटल कैलिपर्स, बोर गेज, डिजिटल संकेतकों" पर लागू होती है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित वजन और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन वजन और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर्स, मिनी वर्नियर गेज, डायल डेप्थ गेज, डिजिटल कैलिपर्स, बोर गेज, डिजिटल इंडिकेटर' वर्तमान में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए, वर्तमान में इन उपकरणों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 के तहत मॉडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न सं 6: बहुत उच्च परिशुद्धता वर्ग की तौल मशीनों का सत्यापन, स्टैम्पिंग और सीलिंग, कस्टम क्लीयरेंस से पहले या उपयोग के स्थान पर, स्थापना के बाद किया जाना आवश्यक है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24/ 33 और विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के नियम 27 के अनुसार, बहुत उच्च सटीकता वाले वजन करने वाली मशीनों का सत्यापन, मुद्रांकन और सीलिंग, उपयोग में लाने से पहले स्थापना के स्थान पर किया जाना आवश्यक है।



प्रश्न सं 7: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 "लोड सेल" पर लागू होती है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 भारत में निर्मित या आयातित भार और माप और वजन और माप उपकरणों के मॉडल को मंजूरी प्रदान करती है। धारा 22 उन भारों और मापों के लिए लागू होती है जो विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में सूचीबद्ध हैं। 'लोड सेल' वर्तमान में विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्हें जल्द ही इन नियमों के तहत जोड़ा जा सकता है। इसलिए, वर्तमान में 'इन लोड सेल' के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 22 के तहत मॉडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न सं 8: मॉडल अनुमोदन संख्या, निर्माता, अधिकतम, न्यूनतम क्षमता, 'ई' मूल्य आदि का विवरण। क्या निर्माण के समय या मुद्रांकन प्लेट पर बिक्री के समय वजन/ मापने वाली मशीनों पर घोषित किया जाना आवश्यक है?

उत्तर: मॉडल अनुमोदन संख्या, निर्माता, अधिकतम, न्यूनतम क्षमता, 'ई' मूल्य आदि का विवरण, निर्माण के समय वजन/मापने वाली मशीनों पर, घोषित करने की सलाह दी जाती है लेकिन बिक्री/ उपयोग में लाने से पहले अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न सं 9: आर एंड डी या अन्य उद्देश्यों के लिए, उनके विशेष उपयोग के अनुसार, वजन मशीन का आयात कैसे किया जाए, जिसके लिए निर्माण के देश में मॉडल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर: अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए, बहुत कम तौल/मापन उपकरणों (5 से अधिक नहीं) का आयात किया जा सकता है। हालाँकि, इन मशीनों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 या इसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना बेचा/ उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे आयात की सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए विधिक माप विज्ञान के संबंधित नियंत्रक को लिखित रूप में दी जानी चाहिए।

प्रश्न सं 10: क्या पैकेज्ड कमोडिटीज नियम (एलएमपीसी नियम के रूप में जाना जाता है) संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आयातित (खुदरा बिक्री के लिए नहीं), उत्पादों के लिए लागू हैं जिसमें एमआरपी की घोषणा, उपभोक्ता देखभाल विवरण आदि शामिल हैं?

उत्तर: लीगल मेट्रोलाजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 3 के अनुसार संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिक्री से पहले पैकेज पर 'खुदरा बिक्री के लिए नहीं' की घोषणा होनी चाहिए।

प्रश्न सं 11: क्या अनुसंधान और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों के सत्यापन और मुद्रांकन की आवश्यकता है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अनुसार अनुसंधान और विकास उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली तौल मशीनों के सत्यापन और मुद्रांकन की आवश्यकता नहीं है।



प्रश्न संख्या 12: क्या "ब्रांड स्वामी" के पूर्ण नाम और पते के साथ "विपणनकर्ता" की घोषणा विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(1) (क) के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है?

उत्तर: हाँ, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 10 के अनुसार ब्रांड स्वामी के पूर्ण नाम और पते की घोषणा "विपणनकर्ता"/ "ब्रांड स्वामी" शब्दों के साथ नियम 6(1) (क) के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है।

प्रश्न संख्या 13: बाहरी कार्टन को आम तौर पर शिपर कार्टन/परिवहन बॉक्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुद्रित शुद्ध वजन/सकल वजन/कार्टन के आयाम होते हैं, जिसमें वस्तु के साथ इकाइयों/टुकड़ों आदि में शुद्ध मात्रा की पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के तहत आवश्यक घोषणाएं होती हैं। क्या आयातक के पास एक तौल मशीन होना आवश्यक है जब बाहरी कार्टन/शिपर कार्टन/परिवहन डिब्बे के अंदर पैक की गई वस्तु को वजन या मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि संख्या के आधार पर बेचा जाता है।

उत्तर: उन विक्रेताओं के लिए सत्यापित और मुहर लगी वजन करने वाली मशीनें अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं जो वस्तुओं को खुले में बेचते हैं। इसके अलावा, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 का नियम 18 (7) प्रदान करता है कि:

"18(7) सभी फुटकर विक्रेता जो वस्तु और सेवा कर के तहत कवर किए गए हैं और पैकबंद वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं और जिनकी वस्तुओं की शुद्ध मात्रा की घोषणा बाट अथवा आयतन अथवा उनके समुच्चय द्वारा की जाती है वे कम से कम वर्ग III परिशुद्धता वाली इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन, जिसमें कम से कम 1 ग्राम की सबसे छोटी डिविजन, सकल मात्रा, मूल्य और ऐसी ही अन्य चीजों को दर्शाने वाली तथा मुद्रित रसीद जारी करने की सुविधा वाली तौलने की मशीन अपने फुटकर परिसरों में ऐसे प्रमुख स्थान पर रखेंगे जो उपभोक्ताओं को लाभ के लिए निशुल्क होगी और उपभोक्ता ऐसी दुकान से खरीदी गई अपनी पैकबंद वस्तुओं के वजन को ऐसी मशीनों पर जांच कर सकते हैं।"

प्रश्न संख्या 14: क्या पी पैकेज्ड कमोडिटीज नियमों में बाहरी डिब्बे पर किसी अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता होती है जिसे आम तौर पर शिपर डिब्बे/ परिवहन डिब्बे के रूप में जाना जाता है।

उत्तर: बॉक्स पर यह उल्लेख करना विक्रेताओं/ थोक विक्रेताओं आदि के हित में है कि क्या यह एक 'थोक पैकेज' है या स्पष्टता के लिए केवल 'शिपिंग/ परिवहन' उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रश्न संख्या 15: क्या विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधान गैस मीटरों पर लागू होते हैं।

उत्तर: गैस मीटरों को शामिल करने के लिए 21 अप्रैल, 2025 को जी. एस. आर. 242 (अ) के माध्यम से विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में संशोधन किया गया था, जो 01 सितंबर, 2025 से लागू होगा। इसलिए, 01 सितंबर, 2025 से पहले विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।

प्रश्न संख्या 16 : क्या निर्माता पैकेज्ड वस्तुओं पर फ्रॉन्ट का आकार, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) नियम, 2011 के अंतर्गत निर्धारित आकार से बड़ा घोषित कर सकता है?

उत्तर: हाँ, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 7 में इन नियमों के अंतर्गत घोषणा के लिए किसी भी अंक और अक्षर की न्यूनतम ऊँचाई की आवश्यकता का प्रावधान है और निर्माता/पैकर/आयातकर्ता इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित आकार से बड़े फ्रॉन्ट में घोषणा कर सकते हैं।



प्रश्न संख्या 17 : क्या सभी घोषणाएँ एक ही स्थान पर मुख्य प्रदर्शन पैनल पर घोषित की जाएँगी?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटी) नियम, 2011 के नियम 2 (एच) में प्रावधान है कि: किसी पैकेज के संबंध में, "मुख्य प्रदर्शन पैनल" का तात्पर्य पैकेज के उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से है जहाँ इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित तरीके से दी जानी है, अर्थात्: -

- (i) सभी सूचनाओं को एक साथ समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है; या
- (ii) पूर्व-मुद्रित सूचनाओं को एक साथ समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है और ऑनलाइन सूचनाओं को दूसरे स्थान पर समूहीकृत करके एक ही स्थान पर दिया जा सकता है;

प्रश्न संख्या 18 : क्या संयुक्त पैकेजों के लिए इकाई विक्रय मूल्य की घोषणा लागू है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटी) नियम, 2011 के नियम 6 (11) के अनुसार, संयुक्त पैकेज, समूह पैकेज या बहु-टुकड़ा पैकेज के लिए इकाई विक्रय मूल्य की घोषणा करना आवश्यक नहीं है।

प्रश्न संख्या 19 : क्या संयोजन पैकेजों की शुद्ध मात्रा की घोषणा के लिए "1 N" या "1 U" की घोषणा मान्य है?

उत्तर: हाँ। शुद्ध मात्रा की घोषणा के लिए "1 N" या "1 U" की घोषणा का उपयोग अन्य घोषणाओं जैसे संख्या, इकाई, सेट, टुकड़ा, जोड़ी या ऐसे अन्य शब्दों के अलावा किया जा सकता है जो पैकेज में मात्रा को दर्शाते हैं।

प्रश्न संख्या 20 : क्या घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले तौल उपकरणों का सत्यापन अनिवार्य है?

उत्तर: बिक्री/उपयोग में लाने से पहले सभी तौल और माप उपकरणों का प्रारंभिक सत्यापन अनिवार्य है।

प्रश्न संख्या 21 : क्या आयातित उत्पाद के खुदरा पैकेज पर विदेशी निर्माता का नाम और पता घोषित करना अनिवार्य है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के नियम 6 के अनुसार, निर्माता/पैकर/आयातकर्ता का नाम और पता घोषित करना अनिवार्य है। इसलिए, मूल देश की घोषणा के साथ आयातित उत्पाद के लिए विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के तहत आयातक का नाम और पता घोषित करना पर्याप्त अनुपालन है।

प्रश्न संख्या 22 : क्या उद्योगों द्वारा आंतरिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले बाटों या मापों का पुनः सत्यापन आवश्यक है?

उत्तर: विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के नियम 27(2) में प्रावधान है कि:

(2) पुनर्सत्यापन निम्नलिखित अवधि के पूरा होने पर किया जाएगा:

(क) सभी बाटों, धारिता मापों, लम्बाई के माप, टेप, बीम स्केल और काउण्टर मशीन के लिए चौबीस महीने,

(ख) भण्डारण टैंकों के लिए 60 महीने, और

(ग) उक्त (क) और (ख) में उल्लिखित के अलावा टैंक लारी सहित सभी बाट या मापक के लिए बारह महीने,

"परंतु ऐसे बाट और माप, जिनका उपयोग, उद्योगों द्वारा अपने आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है और जो ग्राहक को परिदत्त मात्रा पर प्रभाव न डालते हों या जिन्हें किसी संव्यवहार या संरक्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, के लिए ऐसा पुनः सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा।"

